केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 08.05.2017

सीबीआई ने 1.25 करोड़ रू. (लगभग) की कथित घूसखोरी के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त एवं एक प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने 1.25 करोड़ रू. (लगभग) की कथित घूस की माँग व स्वीकार करने के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, एल.टी.यू., मुम्बई के सहायक आयुक्त एवं एक प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

एक शिकायत के आधार पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, एल.टी.यू., मुम्बई के सहायक आयुक्त ; अज्ञात लोक सेवकों व अन्य अज्ञातों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 व 9 के तहत मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वर्ष 2016 में, उसे प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय से नोटिस प्राप्त हुआ और अप्रैल, 2017 के दौरान, एक व्यक्ति अपने को प्रवर्तन कार्यालय का सदस्य बता कर टेलीफोन किया एवं उन्हें एक व्यक्ति, जिसको वह इंगित कर रहा था, से मिलने को कहा तथा न मिलने की दशा में, वह गिरफ्तार हो जायेगा। इसके पश्चात, शिकायतकर्ता को कथित रूप से वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, कुफी परेड, मुम्बई स्थित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कार्यालय में बैठने वाले सहायक आयुक्त से मिलने को कहा। ऐसा आगे आरोप था कि जब शिकायतकर्ता सहायक आयुक्त से मिला तब उसने प्रवर्तन निदेशालय में लम्बित उसके मामले को निपटाने के लिए 15 करोड़ रू. (लगभग) की घूस की माँग की तथा उसे घूस की 25-30% की धनराशि को पहली किश्त के तौर पर एक या दो दिन में व्यवस्था करने को कहा एवं व्यवस्था न होने पर उन्हे गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

सीबीआई ने जाल बिछाया एवं सहायक आयुक्त को 1.25 करोड़ रू. (लगभग) की घूस की माँग व स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। जाँच के दौरान, आरोपी ने सीबीआई को सूचित किया कि उसे इस घूस राशि को एक प्राइवेट व्यक्ति को सौपना था। 1.25 करोड़ रू. (लगभग) की काली धनराशि उक्त प्राइवेट व्यक्ति को दे दी गई तथा उक्त घूस धनराशि को स्वीकार करने के दौरान उसे भी पकड़ा गया। लोक सेवक के आवास पर तलाशी की गई जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज का खुलासा हुआ।

दोनो आरोपियों को मुम्बई की नामित अदालत में पेश किया गया एवं दिनांक 15.05.2017 तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया।

आगे की जाँच जारी है।

****